


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>13/11/17</p>	<p>APP 340/ वकील रौ.सा. 340/ साइथ सायल तलत ठो प्यावली दि. 8/11/2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली</p>	
<p>8.1.2018</p>	<p>APP 340/ वकील रौ.सा. 340/ रौ.सा. की ओर से एअरी माफि प्रा.प्रा.पेश किया जो शा.मि.ले। साइथ सायल तलत ठो प्यावली दि. 29.1.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली</p>	
<p>29.1.2018</p>	<p>APP 340/ वकील रौ.सा. 340/ जिला पुलिस अकीडर जे.सलमेर द्वारा पितनू संदेश के अरिसे साइथ तेशतवापित दीगर राजकीय कार्य एवं कानून व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण सायन्दा पेशी दिलाने का निवेदन किया। अतः पेशी खलता होकर प्यावली दि. 12/2/2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली</p>	
<p>12/2/18</p>	<p>APP 340/ वकील रौ.सा. 340/ प्यावली का खलतीकरण किया। रौ.सा. पर कुल 12 प्रकरण विभिन्न कारणों में पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 2 प्रकरणों में रजि.नामा हुआ, 3 प्रकरणों में रौ.सा. को बोधभुक्त घोषित किया। 1 प्रकरण में सजा ठीका तथा शेष प्रकरणों में शायल होना जाहिर किया। सन्दर्भ कानून के परिधि में इनका परीक्षा करने पर रौ.सा. राजस्थान गुण नियन्त्रण अधिनियम 1975 के धारा 2 (ख) के तहत गुण्डे के अ में</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>परिशासित नहीं होता है। अतः सायल का अन्तर्गत शारिम किया जाता है। पंचायती में सुधार होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली </p>	